बगैर निबंधन निर्माण की ऑनलाइन करें शिकायत

राज्य ब्यूरो, पटना : बिल्डर और डेवलपर्स के खिलाफ रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) बिहार ने जनता को बड़ा हथियार दे दिया है। जनता अब बिल्डर और डेवलपर्स द्वारा निर्माण स्थल पर परियोजना से संबंधित विस्तृत जानकारी का बोर्ड लगाए बगैर निर्माण की शिकायत सीधे ऑनलाइन कर सकती है। यही नहीं, पत्र के जरिए भी रेरा को सूचित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि रेरा शिकायत करने वाले की जानकारी गोपनीय रखेगा। रेरा की इस पहल से अब फर्जीवाड़ा करने वाले बिल्डरों की खैर नहीं है।

दरअसल, रेरा कानून के तहत हर वह व्यक्ति जो पांच कट्ठा से अधिक जमीन की प्लॉटिंग करता है या अपार्टमेंट में आठ से अधिक फ्लैट बनाकर बेचता है उसके लिए निबंधन कराने का प्रावधान है। रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा के अनुसार अगर प्लॉट पांच कट्ठे का ही हो और उसमें पांच व्यक्ति को एक-एक कट्ठा जमीन बेची गई, तब भी कारोबारी निबंधन के दायरे में आएंगे। निबंधन नहीं कराने वाले रियल इस्टेट कारोबारी, डेवलपर्स, एजेंट और कंपनियों के खिलाफ जुर्माना भरना होगा।

बता दें कि रेरा ने छह महीने पहले अवैध कारोबार करने वाले डीलरों, बिल्डर्स और डेवलपर्स पर शिकंजा

कसने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस, कंपनी रजिस्ट्रार, बैंक और वित्तीय संस्थाओं को पत्र लिखकर प्रतिबंधित करने का निर्देश दे चुका है। लेकिन बिल्डर धड़ल्ले से कायदे-कानून की अनदेखी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। रेरा में निबंधन कराए बगैर अपार्टमेंट बनाकर और प्लॉट बेचकर जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे है। ऐसे में रेरा ने बिल्डर के साथ-साथ प्लॉट और फ्लैट का कारोबार करने वाले एजेंटों को भी रेरा में निबंधन अनिवार्य कर रखा है। रेरा कानून के अनुसार बिल्डर निर्माण स्थल पर परियोजना से संबंधित विस्तृत जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य है। इसमें रेरा निबंधन संख्या भी शामिल है, लेकिन बिल्डर रेरा कानून अंगूठा दिखाकर धड़ल्ले से मनमानी कर रहे हैं। यही वजह है कि रेरा ने पिछले आठ महीने में बगैर निबंधन अपार्टमेंट बनाने और प्लॉटिंग करने वाले 280 बिल्डरों को नोटिस थमा चुका है।

Scanned by CamScanner